

जल निकाय की गणना  
में  
आँकड़े संग्रह करने हेतु  
अनुदेश पुस्तिका



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय  
लघु सिंचाई (सांख्यिकी) स्कन्ध

## जल निकाय (वाॉटर बॉडी) की अवधारणा और परिभाषा

जल निकाय पानी के, खारे एवं ताजे दोनों, बड़े या छोटे वह क्षेत्र हैं जो एक दूसरे से कई मायनों में भिन्न हैं। सबसे बड़े जल निकाय महासागर हैं, जबकि सबसे छोटे पोखर या तालाब हैं। पानी के छोटे संग्रह जैसे कि गड्ढी या तरण ताल (स्विमिंग पूल) भौगोलिक अर्थों में आमतौर पर जल निकाय के रूप में संदर्भित नहीं होते हैं।

### **जल निकाय की गणना और 6ठी लघु सिंचाई गणना में प्रयोग हेतु जल निकाय की परिभाषा:**

**जल निकाय:** सभी तरफ से घिरी हुई, कुछ या बिना चिनाई की ऐसी सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाइयों को इस गणना में जल निकाय माना जाएगा जो कि सिंचाई या अन्य प्रयोजनों (जैसे औद्योगिक, मत्स्य पालन, घरेलू/ पीने हेतु, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि) के लिए जल संचय के काम आती हों। यह आम तौर पर विभिन्न प्रकार की होती हैं जिन्हें हौज़, तालाब/पोखरा, झील और जलाशय आदि जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है।

ऐसी संरचना, जहां बर्फ से पिघला हुआ, धारा का, झरने का, बारिश का या आवासीय या अन्य क्षेत्रों की जल निकास नालियों का पानी इकट्ठा होता है या धारा, नाले या नदी के पानी के विपथन के कारण जल इकट्ठा होता है, को भी जल निकाय के रूप में माना जाएगा।

**जल निकायों का प्रकार:** निम्नलिखित प्रकार के जल निकायों को शामिल किया जाना है। (सूची परिचायक है, लेकिन संपूर्ण नहीं है)।

1. **तालाब (पॉण्ड):-** जल का एक छोटा निकाय जो आमतौर पर मिट्टी से बना हुआ होता है, हालांकि चिनाई वाले तटबंध भी शामिल हैं। खुदाई के द्वारा उथले किए हुए जो कि एक सीमित जल परिवेश दर्शाते हैं, को भी तालाब कहा जाता है। प्रायः तालाब ऐसे छोटे जल निकाय का वर्णन करते हैं जिसे पार करने के लिए आमतौर पर किसी को नाव की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।
2. **झील (लेक):** झील पानी का एक बड़ा क्षेत्र है जो कि जमीन से घिरा हुआ है। झील भूमि क्षेत्र में होती है, सागर का हिस्सा नहीं होती है, इसीलिए खाड़ी से अलग होती है और तालाबों से बड़ी और गहरी भी होती है।
3. **हौज़ (टैंक):-** मिट्टी की या चिनाई द्वारा बाड़ बनाकर निर्मित उथले जल की एक इकाई जिसे नलकूप या वर्षा द्वारा पानी मिलता है और जो प्रायः पोखर से बड़ी होती है।
4. **जलाशय (रिसरवॉयर):-** पानी को रोकने के लिए किसी नदी या जल प्रवाह पर बंध, बांध, बैराज या द्रव-चालित निर्माण कर बनाई गई बड़े एवं विभिन्न आकार की मानव निर्मित संरचना जो एक या एक से अधिक उद्देश्यों जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या अन्य जल संसाधन विकास योजनाओं के लिए काम में आती हो।
5. **जल संरक्षण योजनाएं (वाॉटर कंजर्वेशन स्कीम्स):-** जल संरक्षण योजनाओं का उद्देश्य मानसून के बाद की फसलों को सिंचाई के बिना उगाने के लिए संलग्न क्षेत्र अनुप्रवाह की नमी व्यवस्था में सुधार लाना है।

इसमें जलरिसाव हौज़ (पर्कोलेसन टैंक) और चेक डैम शामिल हो सकते हैं। दोनों के कारण नीचे की मिट्टी में पानी का रिसाव बढ़ता है जिसके फलस्वरूप भूजल आपूर्ति में वृद्धि होती है।

**निम्नलिखित प्रकार के जल निकायों को इस गणना में शामिल नहीं करना है:**

- i. महासागर, खाड़ी
- ii. नदी, जलधारा, झरने, जल-प्रपात, नहर आदि जिनका जल बिना किसी भंडारण के मुक्त बहता है।
- iii. तरण ताल (स्विमिंग पूल)
- iv. विशिष्ट प्रयोजन हेतु किसी परिवार द्वारा अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए बनाई गई ढकी हुई पानी की टंकी।
- v. किसी कारखाने के मालिक द्वारा बनवाई हुई पानी की टंकी जो कच्चे माल या उपभोज्य के रूप में पानी के उपयोग के लिए हो।
- vi. खनन, ईट भट्टों और निर्माण गतिविधियों के लिए खुदाई द्वारा बनाए गए अस्थायी जल निकाय। ये बरसात के मौसम में भर सकते हैं।
- vii. केवल मवेशियों के पीने के लिए बनाई गई खुले पानी की पक्की टंकी।

\*\*\*\*\*

### **जल निकायों की गणना का महत्व**

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की माँग अनुदान (demand for Grants) की जाँच करने पर स्थायी संसदीय समिति ने जल निकायों के विभिन्न मानकों जैसे उनकी संख्या, आकार, स्थिति, उपयोग के प्रकार, भंडारण क्षमता आदि की महत्वपूर्ण जानकारियाँ एकत्र करने हेतु लघु सिंचाई गणना के साथ-साथ जल निकायों की गणना करने की सिफारिश की है। तदनुसार, छठी लघु सिंचाई गणना के साथ जल निकायों की गणना भी की जा रही है। जल निकाय की गणना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी जल निकायों को लिया जायेगा चाहे उनका उपयोग कुछ भी हो रहा हो। प्रभावी नियोजन और नीति निर्धारण के लिए जल निकायों का एक अच्छा डेटा बेस आवश्यक है।

\*\*\*\*\*

## जल निकाय (वॉटर बॉडी) अनुसूची भरने के लिए सामान्य अनुदेश

जल निकाय की परिभाषा में बताये गए सभी जल निकायों को इस गणना में शामिल करना है चाहे उनका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए हो रहा हो जैसे सिंचाई या अन्य प्रयोजन (औद्योगिक, मत्स्य पालन, घरेलू/ पीने हेतु, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि)। जल निकाय अनुसूची को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भरना है। गाँव और शहर के सभी जल निकायों को सूचीबद्ध कर गणना करना है। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी जल निकाय छोड़ा नहीं गया है। यदि कोई जल निकाय एक से अधिक गाँव में फैला हुआ है, तो इसे एक जल निकाय माना जाएगा और इसके लिए केवल एक ही अनुसूची भरी जाएगी।

जल निकायों की गणना में अक्षांश और देशांतर के साथ उस जल निकाय की फोटो लेने का प्रावधान भी रखा गया है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को जल निकाय के अक्षांश, देशांतर और चित्र लेने के लिए मोबाइल के अनुकूल एप/ सॉफ्टवेयर भेजा जाएगा। अतः प्रणाली/ अन्वेषक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि मोबाइल एप के द्वारा तस्वीर ले ली गई है। उसी तस्वीर को ऑन लाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबद्ध जल निकाय अनुसूची के साथ संलग्न किया जाना है। तस्वीर की आसान पहचान के लिए तस्वीर की फ़ाइल का नाम संबद्ध जल निकाय का 21 अंकों का अनन्य (यूनीक) पहचान नंबर और 12 अंकों का अक्षांश और देशांतर नंबर होगा और उसी फ़ाइल को जल निकाय अनुसूची के आँकड़ों के साथ ऑन लाइन सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है।

### **I. पहचान विवरण:**

यदि जल निकाय ग्रामीण क्षेत्र में है तो कोड 1 भरना है अन्यथा शहरी क्षेत्र के लिए कोड 2 दिया जाना है।

राज्य/ जिला/ ब्लॉक(तहसील)/ ग्राम का नाम अथवा राज्य/ जिला/ नगर/ वार्ड का नाम, जो भी लागू हो, उसे राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा अद्यतन और एनआईसी को भेजे गए संबंधित कोड के अनुसार दर्ज करना है। राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा अद्यतन की गई निर्देशिका में दिए गए नाम और कोड का इस्तेमाल करना है।

चूंकि जल निकाय अनुसूची में ग्रामीण या शहरी की जानकारी शामिल है, यह सुनिश्चित किया जाना है कि अगर जल निकाय ग्रामीण इलाके में है तो तहसील और ग्राम कोड की जानकारी दी गई है और अगर जल निकाय शहरी क्षेत्र में है तो शहर के नाम से संबंधित जानकारी अर्थात् शहर का नाम और उसका कोड वार्ड संख्या के साथ संबंधित मद में रिपोर्ट किया गया है।

जल निकाय की जानकारी ग्राम/शहरी विभाजन, जल निकाय के प्रकार के अनुसार, ग्राम अनुसूची या शहरी अनुसूची में संकलित की जानी है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ग्राम अनुसूची में या शहरी अनुसूची में उनके क्षेत्र के अनुसार जल निकाय की सूचना दी गई है।

**जल निकाय का सीरियल नंबर:** एक गाँव या शहर के जल निकायों को क्रमवार नंबर देना है। यह नंबर उस गाँव में उक्त जल निकाय के पहचान नंबर के तौर पर काम आएगा। जल निकायों को नंबर देते समय यह ध्यान रखा जाए कि आँकड़े संग्रह का कार्य उस गाँव के उत्तर-पश्चिम कोने से प्रारंभ करना है और सर्पाकार शैली में चलते हुए 001 नंबर से शुरू करते

हुए जल निकायों को सीरियल नंबर देना है। प्रत्येक गांव या शहर में जल निकायों के लिए सीरियल नंबर 001 से ही शुरू करना है।

**गणना की तिथि:** गणना की तिथि को दिन/माह/वर्ष (DD/MM/YY) के प्रारूप में दर्ज करना है।

**जल निकाय की अनन्य (यूनिक) पहचान कुंजी:** इसे जल निकाय की पहचान के अनन्य (युनीक) कोड के लिए रखा गया है। ग्रामीण/शहरी से शुरू होकर जल निकाय के सीरियल नंबर तक वाले 21 अंकों के कोड को दिया जाना है जो कि ग्रामीण/शहरी, राज्य, जिला, तहसील/शहर/ब्लॉक, गांव/वार्ड के कोड और उसके सीरियल नंबर को मिलाकर बनेगा। यह ध्यान रखना होगा कि शहरी क्षेत्र के लिए, शहर का कोड और वार्ड का नंबर देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तहसील/ब्लॉक का कोड और गाँव का कोड दर्ज करना है। कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है।

## II. विशिष्ट जानकारी:

**मद 1.1 (ए): जल निकाय का नाम (यदि कोई हो), विशिष्ट स्थायी सीमाचिन्ह के साथ:** यदि जल निकाय का कोई नाम है, तो वह लिखाना है अन्यथा जल निकाय के पास स्थित विशिष्ट स्थायी सीमाचिन्ह को भी लिखना है जिससे जल निकाय की पहचान आसानी से हो सके।

**मद 1.1 (बी): बेसिन और उप-बेसिन का नाम जिसमें जल निकाय स्थित है:** बेसिन और उप-बेसिन का नाम, जिसमें जल निकाय स्थित है, इस मद में दर्ज किया जाना है।

**मद 1.2 (ए): जल निकाय का प्रकार:** जल निकाय का प्रकार कोड के रूप में इस मद में दर्ज किया जाना है। कोड हैं:

तालाब-1, हौज़-2, झील -3, जलाशय -4, जल संरक्षण योजना/ जलरिसाव हौज़/ चेक डैम -5, अन्य -9

तालाब, जो आकार में सबसे छोटे होते हैं, के मामले में कोड 1 दिया जाएगा। हौज़ के लिए कोड 2 दिया जा सकता है। हौज़ न तो बहुत छोटा होता है और न ही बहुत बड़ा, लेकिन इसे पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता हो सकती है। जबकि तालाब छोटे जल निकाय होते हैं जो अधिकतर कच्चे होते हैं जिसे एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं होती है। झील हौज़ से थोड़ी बड़ी हो सकता है। किसी भी कोड को भरने से पहले अवधारणाओं और परिभाषाओं को देखा जा सकता है।

**मद 1.2 (बी): यदि मद 1.2 (ए) में 'अन्य' है तो भंडारण की प्रकृति:** अगर मद 1.2 (ए) में कोड 9 अर्थात 'अन्य' है तो जल निकाय के भंडारण की प्रकृति को स्पष्ट रूप से यहां निर्दिष्ट किया जाना है।

**मद 1.3: खसरा नं./ प्लॉट नं./ सर्वे नं. जिसमें जल निकाय स्थित है:**

जल निकाय जिस खसरा नं./ प्लॉट नं. / सर्वे नं. में स्थित है उसे भौतिक सत्यापन आदि के लिए इस मद में नोट किया जाएगा। जल निकाय यदि एक से अधिक गांव या शहर में फैला हुआ है, तो उस गांव या शहर का खसरा नं./ प्लॉट नं./ सर्वे नं. दर्ज किया जाएगा जिसमें जल निकाय का अधिकतम क्षेत्र होगा।

**मद 2 और 3: अक्षांश और देशांतर (डिग्री, मिनट, सेकंड में):** जल निकाय के छह अंकों के अक्षांश और देशांतर को मोबाइल या अन्य यंत्र से लिया जाना है और इस मद में दर्ज करना है। जल निकाय के अक्षांश और देशांतर को जल निकाय के उत्तर-पूर्वी कोने से लेना चाहिए।

**मद 4: क्या डीपीएपी/ जनजातीय/ डीडीपी/ बाढ़ प्रभावित/ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है:**

जल निकाय के स्थान के अनुसार उपयुक्त कोड दिया जाना है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) -1 के लिए कोड 1 है। डीपीएपी कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बाढ़ का फसलों और पशुओं के उत्पादन, भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम से कम करना है जिससे अंततः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूखे का असर कम से कम हो। कार्यक्रम का उद्देश्य उस क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और उस क्षेत्र में रहने वाले संसाधन विहीन, गरीब और वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करना भी है।

जनजातीय क्षेत्र के लिए कोड 2 है।

डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम (डीडीपी) के लिए कोड 3 है। डीडीपी को राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के गर्म रेगिस्तान क्षेत्रों और 1977-78 में जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तानों में शुरू किया गया था। 1995-96 से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ और जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए कोड 4 दिया जाना है। मुख्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हैं:

**गंगा बेसिन:** गंगा बेसिन के उत्तरी भाग में बाढ़ मुख्य रूप से उत्तरी उप नदियों द्वारा आती है। गंगा बेसिन के बुरी तरह से प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गंगा के अलावा सारदा, राप्ती, गंडक और घाघरा जैसी नदियां बाढ़ का कारण हैं। यमुना हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ के लिए जानी जाती है। बिहार हर साल भारी खतरनाक बाढ़ का सामना करता है। बूढी, बागमती, गंडक, कमला और कई छोटी नदियों का भी इसमें योगदान होता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ महानंदा, भागीरथी, दामोदर, अजय आदि नदियों में ज्वार प्रभाव और अपर्याप्त नदी चैनलों के कारण आती है।

**ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन:** ब्रह्मपुत्र बेसिन और बराक बेसिन में पाए जाने वाले अतिरिक्त जल के कारण ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के किनारे बाढ़ आती है। ये नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ लाती हैं। उत्तरी पश्चिम बंगाल में जलदखा, तीस्ता और तोरसा और मणिपुर की नदियां अक्सर अपने किनारों को तोड़ कर बहती हैं।

**मध्य भारत और दक्कन नदी बेसिन:** उड़ीसा में महानदी, वैतरणी, ब्राह्मणी नदियां किनारों को तोड़कर बहती हैं और कहर ढाती हैं। इन तीन नदियों द्वारा गठित डेल्टाई क्षेत्र घनी आबादी वाला है। यहां तक कि केरल की कुछ छोटी नदियां और नजदीकी पहाड़ियों से कीचड़ की धारा नुकसान को बढ़ाती हैं। भारी बारिश के कारण नर्मदा, गोदावरी, तापी, कृष्णा और महानदी द्वारा दक्षिणी और मध्य भारत में बाढ़ आती है। गोदावरी, महानदी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में आनेवाले चक्रवाती तूफान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कभी-कभी बाढ़ आ जाती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए कोड 5 है। बाकी क्षेत्र को कोड 9 अर्थात अन्य दिया जा सकता है।

जल निकाय के स्थान के आधार पर उपयुक्त कोड दिया जाना है। ऊपर की जानकारी/सूची परिचायक है, संपूर्ण नहीं। सूचना अधिकृत या जानकार व्यक्ति से ही पूछ कर अनुसूची में दर्ज की जानी है।

**मद 5: स्वामित्व:** जल निकाय का स्वामित्व सरकारी या निजी हो सकता है। उचित कोड दिया जाना है। कोड हैं:

राज्य डब्लूआरडी/ राज्य सिंचाई -1, सहकारी -2, पंचायत -3, नगरपालिका प्राधिकरण -4, अन्य सरकारी संस्था -5, व्यक्तिगत- 6, व्यक्तियों का समूह-7, अन्य निजी निकाय-9

**मद 6(1): क्या जल निकाय उपयोग में है:** हां -1, नहीं-2: यदि जल निकाय किसी भी उद्देश्य जैसे सिंचाई, औद्योगिक, मत्स्य पालन, घरेलू/ पीने हेतु, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे उपयोग में माना जाता है और 1 कोड दर्ज करना है। यदि जल निकाय का उपयोग नहीं हो रहा है या जल निकाय का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं रह गया है तो कोड 2 दिया जाना है।

**मद 6 (2): यदि उपयोग में है यानि ऊपर मद 6(1) में कोड 1 है, तब उपयोग:** यदि जल निकाय उपयोग में है अर्थात मद 6(1) में कोड 1 है तो उसके उपयोग के लिए उपयुक्त कोड इस मद में दिया जाना है। यदि जल निकाय का एक से अधिक प्रकार के उपयोग के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो उपयोग के अधिकतम तीन कोड उपयोग की वरीयता के क्रम में दर्ज किए जाने हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक जल निकाय मुख्य रूप से सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन घरेलू प्रयोजन के लिए भी प्रयोग की जाती है, तो पहले बॉक्स में कोड 1 और दूसरे बॉक्स में कोड 4 दर्ज किया जाएगा।

**मद 6 (3): यदि जल निकाय सिंचाई के लिए "प्रयोग में" है यानी मद 6 (2) में कोड 1 है, तो जल निकाय का सीसीए और आईपीसी:** यदि जल निकाय "प्रयोग में है" और सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है तो इसका कृषियोग्य कमान क्षेत्र (सी.सी.ए.) और सृजित सिंचाई क्षमता (आईपीसी) को हेक्टर में दर्ज करना है। अगर सीसीए और आईपीसी की जानकारी किसी भी अभिलेख से सीधे उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो इस जानकारी को स्थानीय जानकार व्यक्ति जैसे पटवारी/ सरपंच/ ग्राम सेवक से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा, जल निकाय पर स्थापित योजनाओं के सीसीए और आईपीसी का भी उपयोग जल निकाय के सीसीए और आईपीसी निकालने के लिए किया जा सकता है। यदि जल निकाय एक से अधिक गांव में फैला हुआ है, तो सीसीए और आईपीसी की सही सूचना पर पहुंचने के लिए पूरा क्षेत्र शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

**मद 6 (4): अगर उपयोग में नहीं है यानि मद 6(1) में कोड 2 है, तो कारण बताएं:** यदि जल निकाय उपयोग में नहीं है अर्थात मद 6 (1) में कोड 2 है तो इसके लिए समुचित कोड को इस मद में दर्ज करना है। कोड हैं:

सूख गया -1, निर्माण -2, गाद -3, मरम्मत के योग्य नहीं -4, लवणता -5 औद्योगिक अपशिष्ट के कारण -6, अन्य -9

उपयोग में होने/ ना होने की स्थिति सर्वेक्षण की तारीख के अनुसार होने चाहिए। कोड 1 तभी भरा जाएगा जब कोड 2 से 6 लागू न हों।

**मद 7 (1): प्रकृति के अनुसार जल निकाय का प्रकार:** यदि जल निकाय प्राकृतिक है तो कोड 1 दिया जाना है। मानव निर्मित जल निकाय (बांध, मेंड निर्मित तालाब आदि) को कोड 2 दिया जाना है।

**मद 7 (2): यदि मद 7(1) में कोड 2 है, अर्थात् मानव निर्मित है, तो प्रकार:** जल संरचना के अनुसार इसके निर्माण के प्रकार के संदर्भ में यह कि क्या मिट्टी है, ठोस या चिनाई का काम किया है, जो भी लागू है इस मद में कोड दिया जाना है। अन्यथा कोड 9 देना है। यदि जल निकाय केवल मिट्टी की कच्ची सामग्री से बना है, तो कोड 1 दिया जाना है। यदि जल निकाय सीमेंट या कंक्रीट जैसे पक्के सामान से बने हैं तो कोड 2 दिया जाना है। अगर जल निकाय चिनाई के काम के साथ ईंटों से बना है, तो कोड 3 दिया जाना है। बाकी मामलों में कोड 9 दिया जाना है।

**मद 8: निर्माण का वर्ष और मूल लागत (केवल मानवनिर्मित के लिए):** यदि जल निकाय मानव निर्मित है यानी मद 7 (1) में कोड 2 है, तो उसके निर्माण का वर्ष और निर्माण के समय लगी मूल लागत (रुपए में) इस मद में दी जानी है।

**मद 9: नवीकरण/ मरम्मत का वर्ष (सभी जल निकायों के लिए):** यदि जल निकाय का कोई नवीकरण या मरम्मत का कार्य किया गया है, तो अंतिम नवीनीकरण/ मरम्मत का वर्ष और इसकी लागत (रुपए में) को इस मद में दर्ज किया जाना है।

**मद 10: क्या जल निकाय मरम्मत/ नवीकरण/ पुनर्स्थापना के अधीन है:** यदि जल निकाय वर्तमान में मरम्मत/ नवीकरण/ पुनर्स्थापना के अधीन है, तो इस मद में कोड 1 रिपोर्ट किया जाएगा अन्यथा कोड 2 सूचित किया जाएगा । यदि जल निकाय वर्तमान में मरम्मत/ नवीकरण/ पुनर्स्थापना के तहत है तो मद 10 (1) से 10 (6) में सूचना दर्ज की जाएगी।

मद 10 (1) में उस योजना का नाम लिखा जाना है जिसके तहत जल निकाय मरम्मत/ नवीकरण या पुनर्स्थापना के अधीन है। जल निकाय का इस योजना में शामिल होने का वर्ष, मरम्मत/ नवीकरण या पुनर्स्थापना का कार्य पूरा होने का अनुमानित वर्ष और अनुमानित लागत (रुपए में) क्रमशः मद संख्या 10 (2), 10 (3) और 10 (4) में दर्ज की जाएगी। सिंचाई क्षमता के पुनरुद्धार का संभावित लक्ष्य और पुनर्जीवित सिंचाई क्षमता को हेक्टेयर में क्रमशः मद संख्या 10 (5) और 10 (6) में एकत्र किया जाना है। संभावित पुनरुद्धार का लक्ष्य सुधार से संबंधित है और यह मरम्मत/ नवीकरण/ पुनर्स्थापना के कारण संभावित अतिरिक्त वृद्धि को दर्शाएगा। इसी तरह पुनर्जीवित सिंचाई क्षमता अब तक पुनर्जीवित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को दर्शाएगा।

**मद 11: जल निकाय के पानी का फैलाव क्षेत्र (हेक्टेयर में):** जल निकाय के पानी के फैलाव का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दशमलव के तीन अंकों तक दर्ज करना है। जल निकाय यदि एक से अधिक गांव में फैला हुआ है, तो जल प्रसार क्षेत्र की सूचना निकालने के लिए पूरे क्षेत्र को शामिल करना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पानी के फैलाव क्षेत्र से आशय है जितनी जमीन पानी द्वारा कवर की गई है (पानी में डूबा क्षेत्र)।



**मद 12: पूरी तरह से भरे हुए जल निकाय की अधिकतम गहराई (मीटर में):** इस मद में जल निकाय की अधिकतम गहराई (मीटर में) को दर्ज किया जाना है। अगर जल निकाय सर्वेक्षण के समय पूरी तरह से नहीं भरा है, तो यह मान कर जल निकाय की गहराई का अनुमान लगाया जाएगा जैसे कि यह पानी से पूरी तरह से भरा है।

**मद 13: जल निकाय की भंडारण क्षमता (घन मीटर) में:** जल निकाय की मूल जल भंडारण क्षमता और वर्तमान भंडारण क्षमता क्यूबिक मीटर में इस मद में सूचित की जानी है। यदि संभव हो तो हौज़/ तालाब/ जलाशय के मूल परिकल्पित भंडारण की सूचना दस्तावेजों से ली जाए अन्यथा जल निकाय की सतह के क्षेत्रफल और इसकी औसत गहराई की सहायता से जल निकाय की भंडारण क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है। जलाशयों की परिकल्पित भंडारण क्षमता रिकॉर्ड्स से ली जा सकती है क्योंकि आम तौर पर ये सार्वजनिक क्षेत्र (सहकारी समिति/ सरकारी विभाग) के स्वामित्व में आते हैं। किसानों के व्यक्तिगत स्वामित्व वाले तालाब/ हौज़ के मामले में इसकी अनुमानित मात्रा स्थानीय इकाई में मिलने के बाद इसे घन मीटर में बदल कर इस मद में दर्ज करना है।

**मद 14: भरा हुआ भण्डारण (2017-18 के दौरान):** इस मद के लिए जानकारी संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए एकत्रित की जानी है और उपयुक्त कोड दर्ज करना है। इस मद के लिए कोड हैं:

पूर्ण -1, 3/4 तक- 2, 1/2 तक-3, 1/4 तक - 4, शून्य/ नगण्य भरा हुआ- 5

**मद 15: भण्डारण के भरने की स्थिति (गत 5 वर्षों के दौरान लगभग आधा भरने के आधार पर):** पिछले 5 वर्षों में 50% भंडारण को भरने के आधार पर उपयुक्त कोड का निर्धारण किया जाएगा। कोड हैं:

हर साल भरा - 1, सामान्य रूप से भरा- 2, कभी कभार भरा - 3, कभी नहीं भरा- 4

**मद 16 (1): लाभान्वित शहर/ नगर/ गांव की संख्या:** जल निकाय द्वारा लाभान्वित शहरों/ कस्बों की संख्या और गांवों की संख्या अलग-अलग पता लगा कर दर्ज की जानी है।

**मद 16 (2): जल निकाय द्वारा सीधे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या:** जल निकाय द्वारा सीधे लाभान्वित लोगों की संख्या को इस मद में सूचित किया जाना है। यदि सही संख्या एकत्र करने में कोई समस्या हो तो स्थानीय जानकार व्यक्ति से पूछ कर अनुमानित संख्या दर्ज की जा सकती है।

**मद 17(1): क्या जल उपयोग संगठन (WUA) का गठन किया गया है? (एकल स्वामित्व को छोड़कर):** जल निकाय के पानी के उपयोग से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए यदि जल उपयोग संघ गठित या संबद्ध है तो कोड 1 दर्ज किया जाएगा और गठन नहीं किया गया है तो कोड 2 दर्ज होगा। इसकी सूचना लेने के प्रयास किए जाने चाहिए। फिर भी सूचना नहीं मिलती है तो कोड 3 दिया जाना है। वह जल निकाय जिनका स्वामित्व निजी है यानि मद 5 में कोड 6 है तब इस मद को खाली छोड़ना है।

**मद 17(2): यदि मद 17(1) में हूँ अर्थात कोड 1 है तो :** यदि मद 17(1) की जानकारी कोड 1 अर्थात हां है, तो संभव है कि जल निकाय के कुछ क्षेत्र जल उपयोग संगठन द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, यदि जल उपयोग संघ

जल क्षेत्र के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करता है तो मद 17(2)(ए) में कोड को दिया जाना है अन्यथा कोड 2 (आंशिक रूप से क्षेत्र कवरेज) दिया जाना है। मद 17(2)(बी) जल निकाय में गठित जल उपयोग संघ (डब्ल्यूयूए) की कुल संख्या से संबंधित है।

**मद 18:** क्या यह जल निकाय जिला सिंचाई योजना (डीआईपी)/ राज्य सिंचाई योजना (एसआईपी) में शामिल है?: यदि सर्वेक्षणाधीन जल निकाय जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) या राज्य सिंचाई योजना (एसआईपी) के तहत शामिल किया गया है तो कोड 1 होना चाहिए नहीं तो इस मद में कोड 2 दर्ज किया जाएगा।

**मद 19(1):** क्या जल निकाय के किसी भी क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है? (हां -1, नहीं -2): यदि जल निकाय या इसके किसी भाग/ क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है तो कोड 1 दर्ज किया जाना चाहिए नहीं तो कोड 2 दर्ज किया जाना है।

**मद 19(2) और मद 19(3):** यदि मद 19(1) में हां है: यदि यह दिखने में आए कि जल निकाय के क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है, तो यह पता करना चाहिए कि क्या अतिक्रमण क्षेत्र के अनुमानित प्रतिशत का आंकलन किया जा सकता है ? यदि उत्तर हां में है तो अतिक्रमण क्षेत्र का अनुमानित प्रतिशत मद संख्या 19(3) में दो अंकों में (पूर्णांक में) दिया जाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाले जल निकाय के लिए अतिक्रमण के क्षेत्र का आंकलन करने के लिए, प्राधिकरण से मूल जल प्रसार क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है जिसके तहत जल निकाय कार्य कर रही है।

प्रणाल्य/ अन्वेषक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए और हस्ताक्षर तारीख के साथ होना चाहिए।

पर्यवेक्षक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और हस्ताक्षर तिथि के साथ होना चाहिए।

\*\*\*\*\*

## शहरी अनुसूची भरने के लिए सामान्य अनुदेश

जिले में स्थित प्रत्येक शहर के लिए यह भरना है। शहर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लिखी जानी है। सभी मद स्वव्याख्यात्मक हैं।

### I. पहचान विवरण:

राज्य/ जिला/ नगर का नाम राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों द्वारा अद्यतन के अनुसार संबंधित कोड के साथ दर्ज किया जाएगा। राज्य के लिए अद्यतन निर्देशिका में दिए गए नाम और कोड का इस्तेमाल करना है।

गणना की तिथि: गणना की तिथि को दिन/माह/वर्ष (DD/MM/YY) के प्रारूप में दर्ज करना है।

### II. विशिष्ट जानकारी:

**मद 1: शहर में वार्डों की कुल संख्या:** सर्वेक्षणाधीन शहर में कुल वार्डों की संख्या इस मद में दर्ज की जानी है।

**मद 2: भरी गई जल निकाय अनुसूचियों के आधार पर वार्ड अनुसार जल निकाय की संख्या:**

शहर की सभी जल निकाय अनुसूचियों को भरने के बाद इस जानकारी को दर्ज किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जल निकायों की संख्या को वार्ड के आधार पर सारणीबद्ध किया जाना है। यदि आवश्यक हो तो वार्ड अनुसार जल निकायों की सूचना शहरी अनुसूची के साथ संलग्न करने के लिए अतिरिक्त शीट का इस्तेमाल किया जा सकता है। डाटा प्रोसेसिंग चरण में पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए मद 2 के कॉलम 8 का योग अर्थात कुल जल निकायों की संख्या, भरी गई जल निकाय अनुसूचियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

प्रगणक/ अन्वेषक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए और हस्ताक्षर तारीख के साथ होना चाहिए।

पर्यवेक्षक का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और टिप्पणी (यदि कोई हो) स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और हस्ताक्षर तिथि के साथ होना चाहिए।

\*\*\*\*\*